न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 203/2022

निर्णय दिनांक :– 15/9/2023

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. भंवरलाल पुत्र बद्रीलाल जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार महोदय देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

श्री सांवरिया बैरागी — तहसीलदार देवली

अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

बाबत पत्थरगढी किये जाने

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 379 खसरा नम्बर 1951 रकबा 1.28 है0, वाके ग्राम चांदली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि के सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है जिसके कारण मोके पर प्रार्थीगण एवं पडोसी खातेदारों के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने की संभावना है। उक्त भूमि बाबत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और किसी प्रकार को कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी नहीं है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:- उक्त आवेदक की खातेदारी में दर्ज है और कब्जाकाश्त है। अन्य खातेदारो को कब्जा नहीं है। आवेदक का अन्य पड़ोसी खातेदारों से से सीमा विवाद है। ख. नं. 1954 खातेदार इन्द्रा पुत्री प्यारेलाल, गंगा पत्नी प्यारेलाल, चेतने सुगनलाल पुत्र प्यारेलाल, संतरा पुत्री प्यारेलाल जाति बलाई से सीमा विवाद है। आवेदक का जिन पड़ोसी खातेदारो से सीमा विवाद है उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। उनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में किसी न्यायालय से स्थगन नही है । आवेदक की खातेदारी भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमीत राजकीय भूमि नहीं है। उक्त आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार देवली को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत **2074–2077** में अंकित खाता संख्या 379 खसरा नम्बर 1951 रकबा 1.28 है0, वाके ग्राम चांदली तहसील देवली जिला टोंक पर प्रार्थी का कब्जाकाश्त होने पर विधिवत् पत्थरगढी की जावे अन्यथा उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान कर प्रार्थी/प्रार्थीगण को उक्त आराजी भूमि की सीमाओ से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी